TEN RUPEES

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के न्यायालय में ।

R-168-PBR/2000

प्रकरण कमांक 106

तेजराम पिता भागीरथ बलाई
निवासी कनाड़िया तहसील एवं
जिला इन्दौर ।

--- प्रार्थी

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन
2- रामेश्वर पिता बोन्दर
निवासी कनाड़िया तहसील एवं
जिला इन्दौर ।

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ।

श्रीमान कलेक्टर, महोदय, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 202/स्व0 निग0/98-99 में दिनांक 15-9-99 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान की मंशा एवं रेकार्ड पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 9 वर्ष पश्चात अत्यधिक विलंब से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्वमेव पुनरीक्षण में लेकर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

3- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है, उन आधारों पर उक्त आदेश पुनरीक्षण में लिया जाकर निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

4- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 50 के प्रावधानों को नजरअन्दाज कर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

5- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थी को प्रश्नाधीन भूमि में उत्कृषक के तत्पश्चात भूमि स्वामी के स्वत्व प्राप्त हो चुके थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 168-पीबीआर/2000 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-3-2019	उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अत: प्रकरण आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । अध्यक्ष	